

No. CDR-II/801/01/2016
Government of India
Ministry of External Affairs
(PSP Division)

Patiala House Annexe,
Tilak Marg, New Delhi.

Dated 29th December, 2021

To

All Passport Officers,

Subject: Recruitment Rules, 2021 for post of Passport Officer, Deputy Passport Officer and Assistant Passport Officer (Group 'A') in the Central Passport Organization, Ministry of External Affairs – reg.

Sir / Madam,

I am directed to forward herewith the revised Recruitment Rules 2021 in r/o group 'A' posts of Passport Officer, Deputy Passport Officer and Assistant Passport Officer in Central Passport Organization, MEA, notified in the Gazette Notification vide GSR No. 855 (E) dated 14.12.2021. It is requested to circulate the same among the staff members.

Yours faithfully,




(Sahib Singh)

DPO (PSP- Admin. & Cadre).

Copy to:

1. PO (XMM), MEA, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to upload the Gazette Notification on MEA website.
2. OSD (PSP), PMU, PSP Division with the request to upload the Gazette Notification on PSP website.




सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122021-231844
CG-DL-E-14122021-231844

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 696]
No. 696]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 2021/अग्रहायण 23, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2021/AGRAHAYANA 23, 1943

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 855(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 का अधिक्रमण जिसमें इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या लोप किए कार्य शामिल नहीं हैं, करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में पासपोर्ट अधिकारी, उप पासपोर्ट अधिकारी और सहायक पासपोर्ट अधिकारी (समूह 'क' पद) के पदों की भर्ती के तरीकों को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- i. इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'क') पद भर्ती नियम, 2021 है।
- ii. ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुप्रयोग : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इसके साथ संलग्न उनका वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अनर्हता: कोई व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका जीवन साथी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्र सरकार इस तथ्य में संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के मामले में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों में उल्लिखित कोई बात, आरक्षण, आयु सीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष कोटि के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.पासपोर्ट अधिकारी	17*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (रु. 78800-2092200)	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं					
(7)					
अनिवार्य		वांछनीय			
अर्हता	अनुभव	अर्हता	अनुभव	अर्हता मानक नोट	अनुभव मानक नोट
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं		परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(8)		(9)	(10)	
आयु	शैक्षणिक अर्हता		प्रक्रिया प्रतिनियुक्ति	प्रतिशत
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	90
				10

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति :

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में उप पासपोर्ट अधिकारी जिन्होंने इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और विदेश मंत्रालय द्वारा नियत दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया हो।

सामान्य टिप्पणी :

यदि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवावधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्र सरकार के अधिकारी,-

1. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों; या
(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 वाले या समकक्ष पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति होने के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और
2. निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हो :-
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;
(ii) पासपोर्ट या कौंसुली या उत्प्रवासन या प्रशासन या वित्त या लेखे में सतर्कता कार्य या लोक शिकायत में नौ वर्ष का अनुभव।

सामान्य टिप्पणी :

प्रदायक कोटि के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

(12)

विभागीय प्रोन्नति समिति

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष
2. सचिव या अपर सचिव, विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम प्रभाग के प्रभारी -सदस्य
3. अपर सचिव (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी या संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय-सदस्य

**विभागीय स्थायीकरण समिति
लागू नहीं**

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप पासपोर्ट अधिकारी	71*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (₹ 67700-208700)	चयन पद	लागू नहीं

(7)					
अनिवार्य		वांछनीय			
अर्हता	अनुभव	अर्हता	अनुभव	अर्हता मानक नोट	अनुभव सामान्य टिप्पणी
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(8)		(9)	(10)	
आयु	शैक्षणिक अर्हता		प्रक्रिया	प्रतिशत
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	100

(11)
<p>प्रोन्नति : केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में सहायक पासपोर्ट अधिकारी, जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित दो समाह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।</p> <p>सामान्य टिप्पणी : यदि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवावधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केंद्र सरकार के अधिकारी जो-</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 वाले या समकक्ष पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति होने के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और <p>2. निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हो :-</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और पासपोर्ट या कौंसुली या उत्प्रवासन या प्रशासन या वित्त या लेखा या सतर्कता कार्य या लोक शिकायत में पांच वर्ष का अनुभव। <p>सामान्य टिप्पणी: प्रदायक कोटि के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक</p>

पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

विभागीय प्रोन्नति समिति

1. सचिव या अपर सचिव, विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम प्रभाग के प्रभारी। (अध्यक्ष)
2. अपर सचिव (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी या संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय, (सदस्य)
3. निदेशक या उपसचिव, पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम प्रभाग, विदेश मंत्रालय (सदस्य)

विभागीय स्थायीकरण समिति

लागू नहीं

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक पासपोर्ट अधिकारी	135*(2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (रु 56100-177500)	चयन पद	लागू नहीं

(7)

अनिवार्य		वांछनीय			
अर्हता	अनुभव	अर्हता	अनुभव	अर्हता मानक नोट	अनुभव मानक नोट
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(8)		(9)		(10)	
आयु	शैक्षणिक अर्हता	पदोन्नति के लिए दो वर्ष		प्रक्रिया पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिशत 100
लागू नहीं	लागू नहीं				

(11)

प्रोन्नति :

केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में वरिष्ठ अधीक्षक जिन्होंने इस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा दी हो और विदेश मंत्रालय द्वारा नियत दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया हो।

टिप्पणी:

यदि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवावधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :**केन्द्र सरकार के अधिकारी,-**

- क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों; या
(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 वाले या समकक्ष पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति होने के पश्चात ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो; और
- ख. निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हो :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और

(ii) पासपोर्ट या कौंसुली या उत्प्रवासन या प्रशासन या सतर्कता कार्य या लोक शिकायत में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1: प्रदायक कोटि के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

मानक टिप्पणी : लागू नहीं होता

(12)	
विभागीय प्रोन्नति समिति	विभागीय स्थायीकरण समिति
<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव या अपर सचिव, विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम प्रभाग के प्रभारी - सदस्य 3. अपर सचिव (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी या संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय- सदस्य 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अपर सचिव (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी या संयुक्त सचिव (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी, विदेश मंत्रालय, - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम) प्रभाग, विदेश मंत्रालय - सदस्य। 3. अवर सचिव या उप पासपोर्ट अधिकारी (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम प्रशासन और संवर्ग), विदेश मंत्रालय- सदस्य।
(13)	
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य नहीं है।	

[फा. सं. सी डी आर.II/801/01/2016]

टी. आर्मस्ट्रांग चांगसान, संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2021

G.S.R. 855(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Group 'A' Posts), Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of the Passport Officer, Deputy Passport Officer and Assistant Passport Officer (Group 'A' posts) in the Central Passport Organisation of the Ministry of External Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** - These rules shall apply to the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules

3. **Number of posts, classification and pay level in pay matrix** .- The number of the said posts, their classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the above said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification	Pay level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Passport Officer.	17* (2021) * Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Non Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	12 (Rs.78800-209200) in pay matrix.	Selection Post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits					
(7)					
Essential			Desirable		
Qualification	Experience	Qualification	Experience	Qualification Standard Note	Experience Standard Note
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	
(8)		(9)	(10)	
Age	Educational Qualification		Method Deputation	Percentage 90

Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which deputation.	10
-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	----

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.

11

Promotion:

Deputy Passport Officer level 11 in pay matrix of the Central Passport Organisation with five years regular service in the Grade and have successfully completed mandatory training of two weeks as may be prescribed by the Ministry of External Affairs.

Standard Note:

Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers of the Central Government,-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-11 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :-
- (i) Bachelor degree from a recognised University or Institute; and
- (ii) nine years experience in Passport or Consular or Emigration or Administration or Finance or Accounts or Vigilance work or Public Grievances.

Standard Note:

The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

(12)

Departmental Promotion Committee:	Departmental Confirmation Committee:
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission (Chairman).	Not applicable.
2. Secretary or Additional Secretary in charge of Passport Seva Programme Division, Ministry of External Affairs (Member).	
3. Additional Secretary (Passport Seva Programme) and Chief	

Passport Officer or Joint Secretary (Passport Seva Programme) and Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs (Member).

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

13

Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Passport Officer.	71* (2021) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	11 (Rs.67700-208700) in pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

(7)					
Essential		Desirable			
Qualification	Experience	Qualification	Experience	Qualification Standard Note	Experience Standard Note
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)		(9)	(10)	
Age	Educational Qualification		Method	Percentage
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which deputation.	100

11

Promotion:

Assistant Passport Officer (level 10 in pay matrix) of the Central Passport Organisation with five years regular service in the Grade and have successfully completed mandatory training of two weeks as may be prescribed by the Ministry of External Affairs.

Standard Note:

Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers of the Central Government,-

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years service in level 10 of the pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :-
- (i) Bachelor degree from a recognised University or Institute; and
- (ii) five years experience in Passport or Consular or Emigration or Administration or Finance or Accounts or Vigilance work or Public Grievances.

Standard Note:

The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)

Departmental Promotion Committee :	Departmental Confirmation Committee.
1. Secretary or Additional Secretary in charge of Passport Seva Programme Division, Ministry of External Affairs (Chairman). 2. Additional Secretary (Passport Seva Programme) and Chief Passport Officer or Joint Secretary (Passport Seva Programme) and Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs (Member). 3. Director or Deputy Secretary in the Passport Seva Programme Division, Ministry of External Affairs (Member).	Not applicable.

13

Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Passport Officer.	135* (2021) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Non Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	10 (Rs.56100-177500) in pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

(7)

Essential		Desirable			
Qualification	Experience	Qualification	Experience	Qualification Standard Note	Experience Standard Note
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)		(9)	(10)	
Age	Educational Qualification		Method	Percentage
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	Promotion failing which deputation.	100

11

Promotion:
Senior Superintendent (level 8 in the pay matrix) of the Central Passport Organisation with two years regular service in the Grade and have successfully completed mandatory training of two weeks as prescribed by the Ministry of External Affairs.

Note:

Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers of the Central Government,-

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with two years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level-8 of the pay matrix in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following qualification and experience :-
- (i) A Bachelor degree from a recognised University or Institute; and
- (ii) Three years experience in Passport or Consular or Emigration or Administration or Vigilance work or Public Grievances.

Note - 1 : The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation, and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note - 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three year, and the maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

Standard Note : Not applicable.

(12)

Departmental Promotion Committee :

1. Chairman or Member, Union Public Service Commission (Chairman).
2. Secretary or Additional Secretary in charge of Passport Seva Programme Division, Ministry of External Affairs (Member).
3. Additional Secretary (Passport Seva Programme) and Chief Passport Officer or Joint Secretary (Passport Seva Programme) and Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs (Member).

Departmental Confirmation Committee :

1. Additional Secretary (Passport Seva Programme) and Chief Passport Officer or Joint Secretary (Passport Seva Programme) and Chief Passport Officer, Ministry of External Affairs (Chairman).
2. Director or Deputy Secretary (Passport Seva Programme) Division, Ministry of External Affairs (Member).
3. Under Secretary or Deputy Passport Officer (Passport Seva Programme Administration and Cadre), Ministry of External Affairs (Member).

13

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. CDR.II/801/01/2016]

T. ARMSTRONG CHANGSAN, Jt. Secy. (PSP) and
Chief Passport Officer

